



www.cbse.gov.in

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

(An Autonomous Organisation under the Union Ministry of HRD, Govt. of India)

शिक्षा केंद्र, 2, सामुदायिक केंद्र, प्रीत विहार, दिल्ली -110301

SHIKSHA KENDRA, 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI - 110301

के.मा.शि.बो./सीओओआरडी/112233/2016

18 फरवरी, 2016

परिपत्र संख्या शैक्षणिक: 06/2016

विषय: बोर्ड द्वारा संचालित कक्षा X और XII की परीक्षाओं में भिन्न क्षमता वाले विद्यार्थियों को दी जा रही छूट/रियायतों अनुदेशों के संदर्भ में।

बोर्ड स्पास्टिक दृष्टिहीन, शारीरिक अशक्त, डिस्लेक्सिक, ऑटिस्टिक और निःशक्त जन अधिनियम 1995 में परिभाषित निःशक्त अभ्यर्थियों को कई छूट/रियायतों को प्रदान करता है, जिन्हें विद्यालयों को प्रेषित भी किया गया है और बोर्ड की वेबसाइट पर समय-समय पर प्रदर्शित भी किया गया है। ऐसे सभी अनुदेश छूट/रियायत एक समेकित रूप में हितधारकों की सुविधा हेतु संलग्न किए गए हैं।

के.के. चौधरी
परीक्षा नियंत्रक